

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 403/2019

कृष्णा पत्नी स्व० जगदीश जाति चूड़ा (बाल्मिकी) निवासी खिनानियां हाल जवाहरनगर
आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार। वादीया

बनाम्

1. कमलेश पुत्री जगदीश पत्नी रतन जाति बाल्मिकी निवासी जवाहरनगर, आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार।
2. सरोज पुत्री जगदीश पत्नी रविन्द्र कुमार जाति बाल्मिकी निवासी श्यामसुख तहसील व जिला हिसार।
3. सोनू पुत्री जगदीश पत्नी बलराज जाति बाल्मिकी निवासी चौरटापुरवसी तहसील भिवानी।
4. पूनम पुत्री जगदीश पत्नी सुनील जाति बाल्मिकी निवासी जवाहरनगर आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि जगदीश के नाम से चक नं० 21 केएनएन के खाता सं० 72 में कुल 7.589 है० में से 899/7589 हिस्सा की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 21 केएनएन के खाता सं० 72 में से जगदीश का नाम कलमजन व निवासी सरदारशहर का अंकन हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी